

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	693.77	2112.25	2806.02	976.15	2311.00	3287.15	719.94	2424.80	3144.74	889.53	2796.58	3686.11	
पूँजी	21.45	...	21.45	28.85	...	28.85	32.06	...	32.06	25.00	...	25.00	
जोड़	715.22	2112.25	2827.47	1005.00	2311.00	3316.00	752.00	2424.80	3176.80	914.53	2796.58	3711.11	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	32.42	41.80	74.22	76.94	49.61	126.55	41.56	51.25	92.81	176.90	58.33	235.23
सूचना और प्रचार													
2. फिल्मों	2220	32.07	83.52	115.59	44.00	91.81	135.81	37.09	91.31	128.40	33.00	97.69	130.69
3. चलचित्रण फिल्मों का प्रमाणन	2205	...	6.30	6.30	...	7.18	7.18	...	7.21	7.21	...	7.68	7.68
4. जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण	2220	3.70	12.40	16.10	21.50	12.04	33.54	11.97	12.51	24.48	13.00	13.26	26.26
5. विज्ञापन और दृश्य प्रचार	2220	192.34	62.15	254.49	160.60	69.77	230.37	145.06	65.42	210.48	17.00	74.02	91.02
6. प्रेस सूचना सेवा	2220	10.20	47.96	58.16	14.00	51.44	65.44	6.60	58.87	65.47	10.00	61.45	71.45
7. क्षेत्रीय प्रचार	2220	1.06	46.72	47.78	4.50	49.74	54.24	4.04	49.84	53.88	2.98	53.28	56.26
8. संगीत और नाटक प्रभाग	2220	6.43	22.94	29.37	7.20	24.36	31.56	2.20	24.31	26.51	3.00	24.78	27.78
9. प्रकाशन	2220	1.42	46.77	48.19	5.00	51.24	56.24	4.50	50.08	54.58	4.50	52.75	57.25
10. इमारतें और मशीनरी	4220	21.45	...	21.45	28.85	...	28.85	32.06	...	32.06	25.00	...	25.00
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र	2220	3.50	3.38	6.88	9.68	4.07	13.75	9.88	2.64	12.52	9.00	1.41	10.41
12. अन्य व्यय	2220	0.63	8.57	9.20	0.65	9.74	10.39	0.60	9.38	9.98	0.72	9.81	10.53
13. प्रसार भारती को सहायता अनुदान	2221	410.00	1730.00	2140.00	441.58	1890.00	2331.58	359.56	2001.98	2361.54	482.43	2342.12	2824.55
13.01 किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता अनुदान	2221	90.00	...	90.00	21.68	...	21.68	45.00	...	45.00
जोड़- प्रसार भारती को सहायता अनुदान		410.00	1730.00	2140.00	531.58	1890.00	2421.58	381.24	2001.98	2383.22	527.43	2342.12	2869.55
14. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के विकास की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	100.50	...	100.50	75.20	...	75.20	92.00	...	92.00
जोड़-सूचना और प्रचार		682.80	2070.71	2753.51	928.06	2261.39	3189.45	710.44	2373.55	3083.99	737.63	2738.25	3475.88
15. वास्तविक वसूलियां	2220	...	-0.26	-0.26
कुल जोड़		715.22	2112.25	2827.47	1005.00	2311.00	3316.00	752.00	2424.80	3176.80	914.53	2796.58	3711.11

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
14.01 प्रसार भारती	22221	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
जोड़		200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
ग. योजना परिव्यय													
1. सूचना और प्रचार	22220	305.22	...	305.22	372.92	...	372.92	295.56	...	295.56	295.10	...	295.10
2. प्रसारण	22221	410.00	...	410.00	531.58	200.00	731.58	381.24	200.00	581.24	527.43	200.00	727.43
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	100.50	...	100.50	75.20	...	75.20	92.00	...	92.00
जोड़		715.22	...	715.22	1005.00	200.00	1205.00	752.00	200.00	952.00	914.53	200.00	1114.53

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के व्यय से संबंधित है जिसमें मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण, पूर्वोत्तर/जम्मू और कश्मीर तथा अन्य चिन्हांकित क्षेत्रों को विकास सहायता, फिल्म बाजारों और फिल्म उत्सवों के माध्यम से भारतीय सिनेमा का भारत और विदेशों में संबर्धन, विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण, भारतीय सिनेमा का शताब्दी महोत्सव, राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन, पाइरेसी-रोधी पहलें, एनीमेशन, गेमिंग तथा विशेष प्रभावों हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करना, डिजिटलीकरण के संबर्धन हेतु शिक्षा और संचार कार्यकलाप, अवसंरचना समर्थन प्रकोष्ठ, डिजिटल वायर लाईन प्रसारण में केबल टीवी उद्योग कार्मिकों का क्षमता निर्माण और प्रसारण प्रकोष्ठ का स्वचालन शामिल है।

2. **सूचना और प्रचार:फिल्में:** इस शीर्ष के प्रावधान के अंतर्गत मंत्रालय की निम्नलिखित गतिविधियां आती हैं अर्थात्, (क) फिल्म प्रभाग जोकि देश की जीवनचर्या के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में न्यूज-रीलों, लघु फिल्मों के माध्यम से भारतीय और विदेशी दर्शकगणों को सूचना प्रसारित करता है; (ख) फिल्म समारोह निदेशालय पर व्यय; (ग) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार; (घ) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर व्यय तथा फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों का परिदृश्य; (ङ) सिरी फोर्ट, नई दिल्ली स्थित फिल्म समारोह परिसर में अतिरिक्त निर्माण कार्य और परिवर्तन; (च) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जिसमें सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विदेशी फिल्म क्लासिक्स को सुरक्षित रखा जाता है; (छ) भारतीय बाल फिल्म सोसायटी, जोकि बच्चों के लिए फिल्मों का निर्माण करती है और उनका वितरण करती है, को अनुदान; (ज) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे, जोकि फिल्म निर्माण की कला और तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है, को अनुदान तथा (झ) सत्य जीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को अनुदान आदि।

3. **चलचित्र कला फिल्मों का अधिप्रमाणन:** इस प्रावधान के अंतर्गत (i) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण पर होने वाला व्यय शामिल है।

4. **जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण:** इस शीर्ष के अंतर्गत (क) भारतीय जन संचार संस्थान, तथा (ख) अनुसंधान और संदर्भ प्रभाग के लिए प्रावधान है।

5. **विज्ञापन और दृश्य प्रचार:** इसके अंतर्गत विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), जोकि विज्ञापन और अन्य मुद्रित सामग्री तथा रेडियो, टेलीविजन, प्रदर्शनियों व अन्य आउट-डोर प्रचार-प्रसार मीडिया के जरिए अभियानों की रूपरेखा तैयार करता है और उनका कार्यान्वयन करता है, से संबंधित व्यय शामिल है।

6. **प्रेस सूचना सेवाएं:** इसके अंतर्गत (क) प्रेस सूचना ब्यूरो से संबंधित व्यय और (ख) भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान को संचालित करने के लिए आर्थिक सहायता शामिल है।

7. **क्षेत्रीय प्रचार:** इसके अंतर्गत फिल्म शो, सीधे रूप में प्रसारित मीडिया कार्यक्रमों, फोटो प्रदर्शनियों और सेमिनारों के जरिए अंतर वैयक्तिक विकासवात्मक संचार कार्य में लगे क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा इसके जिला स्तरीय क्षेत्र एककों से संबंधित व्यय शामिल है।

8. **गीत और नाटक प्रभाग:** इस शीर्ष के अंतर्गत गीत और नाट्य प्रभाग जोकि जनसमुदायों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के जन-समुदायों के बीच देशभर में फैले एककों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनोरंजन मीडिया का उपयोग करता है, से संबंधित प्रावधान शामिल है।

9. **प्रकाशन:** इस प्रावधान के अंतर्गत मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग, जोकि अनेक विषयों पर अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में समूह्य पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं व अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है, से संबंधित व्यय शामिल है।

10. **इमारतें और मशीनरी:** यह प्रावधान (क) फिल्म प्रभाग, मुंबई में भवन अवसंरचना के उन्नयन; (ख) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, की अवसंरचना का उन्नयन (ग) सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली का उन्नयन; (घ) भारतीय जन संचार संस्थान के नए क्षेत्रीय केन्द्रों को खोलना और (ङ) प्रेस सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रेस केंद्र, नई दिल्ली की स्थापना के लिए और उनके आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा उपस्कर के अर्जन पर होने वाले पूंजीगत व्यय से संबंधित है।

11. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र:** यह प्रावधान कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करने वाले टेलीविजन चैनलों/रेडियो की मॉनीटरिंग करने से संबंधित है।
12. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान फोटो प्रभाग, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक से संबंधित व्यय तथा संचार विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में अंशदान और एशियाई प्रसारण विकास संस्थान में अंशदान पर होने वाले व्यय से संबंधित है।
13. **प्रसार भारती को सहायता अनुदान:** प्रसार भारती के वेतन तथा वेतन संबंधी व्यय के लिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है।
- 13.01. **किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता अनुदान:** देश भर में किसानों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु, किसान चैनल की स्थापना के लिए 45 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।